अवर सचिव
UNDER SECRETARY

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI
TEL.: [illegible]

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/15[illegible]/2017-18

13 फरवरी, 2018

सेवा में,

श्री वी. के. राजन,
उपसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री ब्रजराज कृष्ण गुप्ता, समाज सेवी निवासी 1252/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश का 31.01.2018 का इस कार्यालय में 08.02.2018 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये का पो.आ.सं. 43F 843786 संलग्न कर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत स्वयं को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने व अन्य विषयों की जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु गृह मंत्रालय से संबंधित है, अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
श्री ब्रजराज कृष्ण गुप्ता, समाज सेवी निवासी 1252/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश
- कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST
13/2/18

R-II No 153

सेवा में

महामहिम राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार दिल्ली

महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार दिल्ली

Vice President's Secretariat
230
Dy No.
Dt 2/18

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

आवेदक

1. उत्तर प्रदेश में कितने RTI कार्य करता है।
2. किस कारण कितने आर टी आई कार्य कर्ताओं की हत्या हो चुकी है।
3. उत्तर प्रदेश में RTI कार्य कर्ताओं के बीच भय के संकट कि समस्या को देखते हुये आपके द्वारा क्या-2 उपाये किये गये है।
4. उत्तर प्रदेश मे किसी भी नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या मानक है।
5. अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन भय की संकट की समस्या है वो और उसके द्वारा सुरक्षा माँगी गयी है और उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कि गई और उसकी हत्या हो जाती है तो जवाब देही किसकी है।
6. भारत के हर नागरिक को सुरक्षा की गारन्टी का अधिकार देना किस का है।
7. प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है। प्रार्थी को सुरक्षा की गारन्टी भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से लेने का किस प्रकार प्रावधान है बिन्दुवार आख्या दें।
8. प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है। प्रार्थी द्वारा सुरक्षा की गारन्टी मांगना कौन सा अपराध है। बिन्दुवार आख्या दें।
9. प्रार्थी के सुरक्षा की गांरटी मागे जाने पर प्रार्थी को सुरक्षा की गारन्टी नहीं दिया जाना भारत सरकार के सुरक्षा एजेन्सी का किस प्रकार प्रावधान है। बिन्दुवार आख्या दें।
10. प्रार्थी को सुरक्षा की गारन्टी न दिये जाने पर भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेन्सी द्वारा मानसिक उत्तपीड़न करना व झूठे मुकदमों में फसाना भारत के किस सविधान में लिखा है। बिन्दुवार आख्या दें।
11. प्रार्थी का भारतीय नागरिक होना व सुरक्षा की गांरटी मांगना अपराध है बिन्दुवार आख्या दें।
12. प्रार्थी को सुरक्षा की गांरटी न देने के पीछे किस प्रकार का संषड़यन्त्र है बिन्दूवार आख्या दें।

दिनांक 31/1/018

संलग्न :- दस रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या 43F 843786

ओके गुप्ता
प्रार्थी
ब्रजराज गुप्ता